

कार्यालय अंचल अधिकारी, हजारीबाग (सदर)।

पत्रांक 2229

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
सदर, हजारीबाग।

सेवा में,

थाना प्रभारी,
बड़ा बाजार थाना
हजारीबाग।

हजारीबाग, दिनांक 22/11/2023

विषय:- प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन।

श्रीमान,

निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि मैं शशि भूषण सिंह पिता-श्री मकसुदन सिंह उम्र लगभग 54 वर्ष वर्तमान में अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित हूँ। अपर समाहर्ता, हजारीबाग के आदेश ज्ञापांक 477/खा0म0 हजारीबाग दिनांक-21.11.2023 के आदेशानुसार यह संज्ञान में आया है कि हजारीबाग खास महाल क्षेत्रान्तर्गत मौजा-कैन्टोमेंट, थाना नं0- 157, भवन पट्टा होल्डिंग नं0- 302, प्लॉट नं0- 872/1235, 873/1336 एवं 893/1337, रकवा- क्रमशः 0.25 एकड़, 0.15 एकड़ एवं 0.10 एकड़, कुल रकवा- 0.50 एकड़ भूमि पर श्री योगेन्द्र साव, भूतपूर्व विधायक एवं सुश्री अंबा प्रसाद माननीय सदस्य विधान सभा के द्वारा अवैध रूप से चाहरदिवारी का निर्माण किया गया है। विदित हो कि दिनांक-11.11.2023 को वरीय पदाधिकारी के निदेशानुसार मैंने स्वयं एवं थाना प्रभारी बड़ा बाजार थाना हजारीबाग के साथ जाकर उक्त भूमि पर हो रहे चाहरदिवारी का निर्माण कार्य को रूकवाया था।

उक्त भूमि खास महाल की लीज भूमि है, जो कि मोहम्मद एहसान पिता स्व0 मोहम्मद समुएल के नाम से 31/03/2008 तक नवीकृत है, लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है।

अतः उपरोक्त व्यक्तियों पर प्रश्नागत भू-खण्ड पर अवैध एवं जबरन रूप से चाहरदिवारी का निर्माण करने एवं मना करने के बावजूद उनके द्वारा उक्त कार्य बल पूर्वक किया जा रहा है एवं सरकारी पदाधिकारी के मना करने के बावजूद उक्त व्यक्तियों के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने एवं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु यह आवेदन समर्पित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

22/11/23

अंचल अधिकारी,
सदर, हजारीबाग।

आधार नं0-862983115819

दिनांक-22.11.2023